

13/10/23

15

पडावली पेश हुई। आधिकार पत्रकारण
 उपस्थित। तहसीलदार से गैर रिपोर्ट
 प्राप्त है जिसका समाधान किया गया।
 तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
 जायिनी कौन ही चुकी है, पारदेवी
 के स्थान पर उनके वारिस मांगी व
 धर्म के पक्ष में उक्त श्रुति में श्रुति
 दर्ज किया गया। मांगी व धर्म के
 द्वारा दिनांक 18.07.2025 को पत्र
 दानपत्र उक्त श्रुति मजारात पुत्र पैतारत
 को दाज कर दी गई है। उक्त उक्त
 में प्रतिवर्ष पैतारत पुत्र मजारात
 जायिनी दाज को किसी प्रकार की कोई
 आपत्ति नहीं है। आपली सहमति
 करके मानना शुभमा दिया गया है

अतः तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट
 के आधार पर उक्त दाज इपी तद
 पर खासिय किया जाना है
 पडावली के जल शुभार हीकर
 दायिग दफतर है।

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O), बाँसगाँव

